

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 955 / 11

संस्थित दि.: 09 / 12 / 11

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

सुरेश सिंह यादव पिता माधवसिंह, उम्र 39 साल,
निवासी हिनौला थाना मजगांव जिला पन्ना

..... आरोपी

— :: निर्णय :: —

(आज दिनांक 29 / 10 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 429 का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 29.11.2011 को दोपहर के 02:30 बजे स्थान बैहर गढ़ी में रोड थानान्तर्गत बैहर में लोकमार्ग वाहन जिप्सी क्रमांक एम.पी-54/टी-0135 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से चलकार मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं फरियादी रोशनसिंह ताराम के तीन नग बोदा को टक्कर मारकर फरियादी को 40,000 / — रुपये की रिष्टी कारित की।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी रोशनसिंह ने दिनांक 30.11.2011 को आरक्षी केन्द्र बैहर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई कि दिनांक 29.11.2011 को दोपहर 02:00 बजे उसने चार बोदे चरने के लिये छोड़े थे। शाम को वापस नहीं आये तो वह ढूढ़ने गया तो बैहर से 7 किलोमीटर मुक्की लोकमार्ग पर उसके तीन बोदे को गम्भीर चोट लगी हुई थी और अवस्था में रोड के किनारे पड़े हुये थे। उसे लोगों ने बताया कि बंजरटोला कान्हा ताज सफारी लॉज की जिप्सी वाहन क्रमांक एम.पी-54/टी-0135 के चालक ने तेजी एवं लापरवाही से चलाकर टक्कर मारकर बोदे की मृत्यु कारित की। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 128 / 11 अन्तर्गत धारा 279, 429 भा.दं.वि.

एवं. मोटरयान अधिनियम की धारा 184 पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी से वाहन जिप्सी क्रमांक एम.पी-54/टी-0135 जप्त कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 249 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 429 का अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष हैं, फरियादी ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिये पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर उसे झूठा फंसाया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(1) क्या आरोपी मनोज ने दिनांक 29.11.2011 को दोपहर के 02:30 बजे स्थान बैहर गढ़ी मेन रोड थानान्तर्गत बैहर में लोकमार्ग वाहन जिप्सी क्रमांक एम.पी-54/टी-0135 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से चलकार मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

(2) क्या आरोपी इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन जिप्सी क्रमांक एम.पी-54/टी-0135 से फरियादी रेशनसिंह ताराम की तीन नग बोदों को टक्कर मारकर उनकी मृत्यु कारित कर फरियादी को करीब 40,000/- रुपये की रिष्टी कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 एवं 2 :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु 1 एवं 2 का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी/कामयीकर्ता जग्गु बागड़े (अ.सा.05) का कहना है कि उसने दिनांक 30.11.2011 को आरक्षी केन्द्र बैहर में रोशन की सूचना पर अपराध क्रमांक 128/11 अन्तर्गत धारा 279, 429 भा.द.वि. वाहन क्रमांक एम.पी.54/टी.0135 के चालक के विरुद्ध प्रदर्श पी-01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता रामभजन साहू (अ.सा.06) का कहना है कि उसने अपराध क्रमांक 128/11 की विवेचना के दौरान रोशनसिंह की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 बनाया था। घटनास्थल से क्षतिग्रस्त वाहन के टुकड़े जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-03 बनाया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-05 बनाया था। आरोपी से मय दस्तावेज के वाहन क्रमांक एम.पी. 54/टी.0135 जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-04 बनाया था। फरियादी रोशनसिंह साक्षी राजकुमार, राजेश, सुन्दरलाल व रमेश के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे किन्तु अभियोजन साक्षी नन्दूलाल (अ.सा.08) का कहना है कि उसने वाहन क्रमांक एम.पी.54/टी.0135 की मैकेनिकल जांच में कोई खराबी नहीं होना पाया था उसके द्वारा तैयार की गई वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-09 है। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने जप्तशुदा वाहन का बम्पर, हैड लाईट में कोई टूटफूट होने से इन्कार किया। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसने वाहन में कोई क्षति नहीं होना पाया।

(08) अभियोजन साक्षी/डॉ. योगेन्द्र कुमार (अ.सा.07) का कहना है कि उसने दिनांक 01.12.2012 को तीन बोदो का शव परीक्षण किया था। जिसमें उसने बोदा नम्बर 01 के बाह्य परीक्षण में मल द्वार से मल के साथ रक्त निकला हुआ, मृत बोदे का शरीर सूजा हुआ, शरीर पर गई जगह खरौंचे, दाहिनी फीमर बोन टूटी हुई, स्केपुलर रिजन हीपरीजन व बेपरीजन, पूछ के जड़ के पास एवं दाहिने थोरसिकरीजन पर खरौंच तथा आन्तरिक परीक्षण में थोरसिककेवीटी में मृत बोदे के बांये तरफ की गयारहवी एवं बारहवी पसली टूटी हुई होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-06 है तथा बोदा नम्बर 02 के बाह्य परीक्षण में उसने नथूने से रक्तस्त्राव, शरीर पर सूजन, शरीर के विभिन्न भागों पर खरौंचे, दाहिने ओर की हयुमस बोन एवं मेटाकारपल हड्डी फ्रेक्चर, मजल, दाहिने स्केपुलररिजन एवं दाहिने एवडोमीलन रजीन पर खरौंच होना पाया था व आन्तरिक परीक्षण में प्यूलरा में रक्त भरा हुआ एवं रुमन

तथा आंत में गैस थी। उसके द्वारा तैयार की गई शव परीक्षण परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-07 है व बोदा नम्बर 03 के बाह्य परीक्षण में उसने शरीर पर सूजन, शरीर के विभिन्न भागों पर खरौंच, बांया स्केपुला एवं ह्युमस पर फ्रेक्चर, बांये एबडोमीलन रीजन पर खरौंच होना तथा आन्तरिक परीक्षण में थोरेसिक केवीटी बांये भाग के सातवी, आठवी, नवमी एवं दसवी पसली पर फ्रेक्चर होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-08 है।

(09) अभियोजन साक्षी / फरियादी रोशनसिंह (अ.सा.01) का कहना है कि घटना दिनांक 29.11.2011 की शाम के 07:00 बजे उसके बोदे जंगल चराने ले गया था। तीन बोदे घर नहीं आये दूसरे दिन मुक्की लोकमार्ग पर तीन बोदे मृत अवस्था में मिले। उसकी लिखित रिपोर्ट उसने थाना बैहर में की थी। उसके तीन बोदों की वाहन के टकराने से मृत्यु हो हुई थी। उसे राजू ढाबे वाले व्यक्ति ने बताया था कि जिप्सी एम. पी.54/सी.0135 से बोदे टकराकर मर गये। उसके द्वारा प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट का प्रतिवेदन प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल पर आकर उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। घटनास्थल से हैण्ड के टुकड़े जप्त हुये थे और पुलिस ने उसके बयान लिये थे। किन्तु साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने थाने में मौखिक रिपोर्ट लिखाने से इंकार किया। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 06 में यह बताया कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में एम.पी.50/टी.0135 के वाहन से बोदो को टक्कर मारकर मृत्यु कारित की थी ऐसा नहीं बताया और प्रतिपरीक्षण के पैरा 07 में बताया कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखा। साक्षी ने मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 थाने पर तैयार किया जाना बताया और उसने हस्ताक्षर भी थाने पर ही करना बताया। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी राजकुमार (अ.सा.02) का कहना है कि वह रोशनसिंह के साथ गढ़ी रोड़ पर बोदो को ढूढ़ने गया था तो तीन बोदे मरे हुये दिखायी दिये। ढाबे से पता चला कि ताज सफारी के वाहन से बोदों का एक्सीडेंट हुआ। वाहन आरोपी योगेश यादव चला रहा था। गाड़ी को जाकर देखा तो गाड़ी का बम्पर टूटा हुआ था। घटनास्थल से लाईट के टुकड़े जप्त जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 बनाया था। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि उसने भूलवश आरोपी का नाम योगेश यादव बताया वाहन सुरेशसिंह चला रहा था पुलिस को बताया था। साक्षी ने

अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 04 में बताया कि ढाबे पर किस व्यक्ति ने ताज सफारी के वाहन से बोदो को चोट लगने वाली बात बतायी उसका नाम उसे नहीं मालूम। साक्षी ने यह भी बताया कि वाहन को योगेश यादव चला रहा था या सुरेशसिंह चला रहा था किस व्यक्ति ने बताया उसे वह नहीं जानता।

(10) अभियोजन साक्षी राजेश (अ.सा.03) का कहना है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी आरोपी ने वाहन क्रमांक एम.पी.54टी.0135 को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की इस बात से इन्कार किया एवं अभियोजन साक्षी सुन्दरलाल (अ.सा.04) का कहना है कि घटना दिनांक को वह बारसा में वम्हनी जा रहा था। मुक्की रोड पुलिया के पास तीन बोदे रोड के साईड में मृत अवस्था में पड़े थे। बोदे जीप से मारने का पता चला था। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी आरोपी ने वाहन क्रमांक एम.पी.54टी.0135 को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की इस बात से इन्कार किया।

(11) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि अभियोजन साक्षी/फरियादी रोशनसिंह (अ.सा.01) एवं साक्षी राजकुमार (अ.सा.02), राजेश (अ.सा.03), सुन्दरलाल (अ.सा.04), नन्दूलाल (अ.सा.08) ने अपने कथनों में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है एवं साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खण्डन हुआ है। उक्त साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(12) आरोपी एवं आरोपीग के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(13) अभियोजन साक्षी/कामयीकर्ता जग्गु बागड़े (अ.सा.05) का कहना है कि उसने दिनांक 30.11.2011 को आरक्षी केन्द्र बैहर में रोशन की सूचना पर अपराध क्रमांक 128/11 अन्तर्गत धारा 279, 429 भा.दं.वि. वाहन क्रमांक एम.पी.54/टी.0135 के चालक के विरुद्ध प्रदर्श पी-01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता रामभजन साहू (अ.सा.06) का कहना है कि उसने अपराध क्रमांक 128/11 की विवेचना के दौरान रोशनसिंह की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 बनाया था। घटनास्थल से क्षतिग्रस्त वाहन के टुकड़े

जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-03 बनाया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-05 बनाया था। आरोपी से मय दस्तावेज के वाहन क्रमांक एम.पी. 54/टी.0135 जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-04 बनाया था। फरियादी रोशनसिंह साक्षी राजकुमार, राजेश, सुन्दरलाल व रमेश के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। किन्तु अभियोजन साक्षी नन्दूलाल (अ.सा.08) का कहना है कि उसने वाहन क्रमांक एम.पी.54/टी.0135 की मैकेनिकल जांच में कोई खराबी नहीं होना पाया था उसके द्वारा तैयार की गई वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-09 है। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने जप्तशुदा वाहन का बम्पर, हैड लाईट में कोई टूटफूट होने से इन्कार किया। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसने वाहन में कोई क्षति नहीं होना पाया।

(14) अभियोजन साक्षी/डॉ. योगेन्द्र कुमार (अ.सा.07) का कहना है कि उसने दिनांक 01.12.2012 को तीन बोदो का शव परीक्षण किया था। जिसमें उसने बोदा नम्बर 01 के बाह्य परीक्षण में मल द्वार से मल के साथ रक्त निकला हुआ, मृत बोदे का शरीर सूजा हुआ, शरीर पर गई जगह खरौंचे, दाहिनी फीमर बोन टूटी हुई, स्केपुलर रिजन हीपरीजन व बेपरीजन, पूछ के जड़ के पास एव दाहिने थोरसिकरीजन पर खरौंच तथा आन्तरिक परीक्षण में थोरसिककेवीटी में मृत बोदे के बांये तरफ की गयारहवी एवं बारहवी पसली टूटी हुई होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-06 है तथा बोदा नम्बर 02 के बाह्य परीक्षण में उसने नथूने से रक्तस्त्राव, शरीर पर सूजन, शरीर के विभिन्न भागों पर खरौंचे, दाहिने ओर की हयुमस बोन एवं मेटाकारपल हड्डी फ्रेक्चर, मजल, दाहिने स्केपुलररिजन एवं दाहिने एबडोमीलन रजीन पर खरौंच होना पाया था व आन्तरिक परीक्षण में प्यूलरा में रक्त भरा हुआ एवं रुमन तथा आंत में गैस थी। उसके द्वारा तैयार की गई शव परीक्षण परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-07 है व बोदा नम्बर 03 के बाह्य परीक्षण में उसने शरीर पर सूजन, शरीर के विभिन्न भागों पर खरौंच, बांया स्केपुला एवं हयुमस पर फ्रेक्चर, बांये एबडोमीलन रीजन पर खरौंच होना तथा आन्तरिक परीक्षण में थोरसिक केवीटी बांये भाग के सातवी, आठवी, नवमी एवं दसवी पसली पर फ्रेक्चर होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-08 है।

(15) अभियोजन साक्षी/फरियादी रोशनसिंह (अ.सा.01) का कहना है कि घटना

दिनांक 29.11.2011 की शाम के 07:00 बजे उसके बोदे जंगल चराने ले गया था। तीन बोदे घर नहीं आये दूसरे दिन मुक्की लोकमार्ग पर तीन बोदे मृत अवस्था में मिले। उसकी लिखित रिपोर्ट उसने थाना बैहर में की थी। उसके तीन बोदों की वाहन के टकराने से मृत्यु हो हुई थी। उसे राजू ढाबे वाले व्यक्ति ने बताया था कि जिप्सी एम. पी.54/सी.0135 से बोदे टकराकर मर गये। उसके द्वारा प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट का प्रतिवेदन प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल पर आकर उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। घटनास्थल से हैण्ड के टुकड़े जप्त हुये थे और पुलिस ने उसके बयान लिये थे। किन्तु साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने थानें में मौखिक रिपोर्ट लिखाने से इंकार किया। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 06 में यह बताया कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में एम.पी.50/टी.0135 के वाहन से बोदो को टक्कर मारकर मृत्यु कारित की थी ऐसा नहीं बताया और प्रतिपरीक्षण के पैरा 07 में बताया कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखा। साक्षी ने मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 थाने पर तैयार किया जाना बताया और उसने हस्ताक्षर भी थाने पर ही करना बताया। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी राजकुमार (अ.सा.02) का कहना है कि वह रोशनसिंह के साथ गढ़ी रोड़ पर बोदो को ढूढ़ने गया था तो तीन बोदे मरे हुये दिखायी दिये। ढाबे से पता चला कि ताज सफारी के वाहन से बोदों का एक्सीडेंट हुआ। वाहन आरोपी योगेश यादव चला रहा था। गाड़ी को जाकर देखा तो गाड़ी का बम्पर टूटा हुआ था। घटनास्थल से लाईट के टुकड़े जप्त जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 बनाया था। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि उसने भूलवश आरोपी का नाम योगेश यादव बताया वाहन सुरेशसिंह चला रहा था पुलिस को बताया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 04 में बताया कि ढाबे पर किस व्यक्ति ने ताज सफारी के वाहन से बोदो को चोट लगने वाली बात बतायी उसका नाम उसे नहीं मालूम। साक्षी ने यह भी बताया कि वाहन को योगेश यादव चला रहा था या सुरेशसिंह चला रहा था किस व्यक्ति ने बताया उसे वह नहीं जानता।

(16) अभियोजन साक्षी राजेश (अ.सा.03) का कहना है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी आरोपी ने वाहन क्रमांक एम.पी.54टी.0135 को तेजी एवं लापरवाही से

चलाकर दुर्घटना कारित की इस बात से इन्कार किया एवं अभियोजन साक्षी सुन्दरलाल (अ.सा.04) का कहना है कि घटना दिनांक को वह बारसा में वम्हनी जा रहा था। मुक्की रोड पुलिया के पास तीन बोदे रोड के साईड में मृत अवस्था में पड़े थे। बोदे जीप से मारने का पता चला था। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी आरोपी ने वाहन क्रमांक एम.पी.54टी.0135 को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की इस

(17) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से आरोपी सुरेशसिंह ने दिनांक 29.11.2011 को दोपहर के 02:30 बजे स्थान बैहर गढ़ी मेन रोड थानान्तर्गत बैहर में लोकमार्ग वाहन जिप्ती क्रमांक एम.पी-54/टी-0135 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से चलकार मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं फरियादी रोशनसिंह ताराम के तीन नग बोदा को टक्कर मारकर फरियादी को 40,000/- रुपये की रिष्टी कारित की। ऐसे अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों सं परिलक्षित नहीं होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/फरियादी रोशनसिंह (अ.सा.01) एवं साक्षी राजकुमार (अ.सा.02), राजेश (अ.सा.03), सुन्दरलाल (अ.सा.04), नन्दूलाल (अ.सा.08) को अभियोजन ने पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

(18) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी सुरेशसिंह ने दिनांक 29.11.2011 को दोपहर के 02:30 बजे स्थान बैहर गढ़ी मेन रोड थानान्तर्गत बैहर में लोकमार्ग वाहन जिप्ती क्रमांक एम.पी-54/टी-0135 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से चलकार मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं फरियादी रोशनसिंह ताराम के तीन नग बोदा को टक्कर मारकर फरियादी को 40,000/- रुपये की रिष्टी कारित की।

(19) परिणाम स्वरूप आरोपी सुरेशसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 429 के आरोप में दोषी न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(20) प्रकरण में आरोपी सुरेशसिंह पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(21) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन जिप्सी क्रमांक एम.पी.50 / टी.0135 एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज सुपुर्दगी पर है । सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो । अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे ।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)